न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2024 / 537 दर्ज तिथिः—26.12.2024

1. विरधाराम पुत्र हबताराम
   जाति पुरोहित निवासी सोढों की ढाणी, रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
2. गणपतलाल पुत्र राजाराम
3. दिनेश पुत्र राजाराम
4. मफीदेवी पत्नी राजाराम
5. शोभनाबेन पुत्री गिरधारी पत्नी तगाराम
6. सवीता देवी पुत्री गिरधारी पत्नी लक्ष्मीशंकर
   जाति पुरोहित निवासी पादरड़ी तहसील गुड़ामालानी
7. झमूदेवी पुत्री गिरधारी पत्नी मोबताराम
   जाति पुरोहित निवासी लूणवा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. आदा पुत्र भीमा
9. कालूराम पुत्र बादराराम
10. चून्नीदेवी पुत्री किस्तुराराम
11. छगना पुत्र रिडमल
12. जवाराराम पुत्र सरदारा
13. जामताराम पुत्र बादराराम
14. झीणीदेवी पत्नी रिडमल
15. तारा पुत्र रिडमल
16. धनाराम पुत्र तगाराम
17. प्रतापा पुत्र भीमा
18. पाता पुत्र भारता
19. बाबूलाल पुत्र बादराराम
20. भगवानाराम पुत्र बादराराम
21. भवाराम पुत्र अदराराम
22. मंगला पुत्र करना
23. मनजीराम पुत्र बादराराम
24. मांगा पुत्र भारता
25. मोडूराम पुत्र सरदारा
26. मोहनीदेवी J पुत्री किस्तुराराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:47:17 IST
Reason: SelfAttested

27. मोहनीदेवी P पुत्री किस्तुराराम
जाति पुरोहित निवासी सोढों की ढाणी, रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी
28. शाखा गुड़ामालानी एसबीआई बैंक शाखा गुड़ामालानी

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश विश्नोई
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–26.05.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 118 हाल खसरा नम्बर 216/4.3139 है0, 286/0.3723 है0, आराजी खाता संख्या 117 हाल खसरा संख्या 81/5/3.4317 है0 मौजा रतनपुरा, खाता संख्या 67 हाल खसरा संख्या 240/1.1331 है0 मौजा जसवंतनगर में प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार, आराजी खाता संख्या 36 हाल खसरा संख्या 252/11.6630 है0 मौजा जसवंतनगर, खाता संख्या 75 खसरा संख्या 428/7.9642 है0, 493/23.3746 है0 मौजा सोढों की ढाणी में प्रार्थी 1/18 हिस्से का खातेदार तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 एवं 2076–2079 में खाता संख्या 118, 117, 67, 36 एवं 75 में प्रार्थी का नाम वरदा, वरधा पुत्र हबता अंकित है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम विरधाराम पुत्र हबताराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 एवं 2076–2079 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम विरधाराम पुत्र हबताराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल के अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में विरधाराम पुत्र हबताराम के स्थान पर वरधा, वरदा पुत्र हबता दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:47:17 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में वरधा पुत्र हबता दुरूस्त कर सही नाम विरधाराम पुत्र हबताराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075–2078 एवं 2076–2079 वाके ग्राम रतनपुरा, जसवंतनगर एवं सोढों की ढाणी के नवीन खाता संख्या 118, 117, 67, 36 एवं 75 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
वरदा पुत्र हबता	1/3	216 286	4.3139 0.3723
वरदा पुत्र हबता	1/3	81/5	3.4317
वरदा पुत्र हबता	1/3	240	1.1331
वरधा पुत्र हबता	1/18	252	11.6630
वरदा पुत्र हबता	1/18	428 493	7.9642 23.3746

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है:–

दस्तावेज का विवरण	नाम
पहचान पत्र	विरधाराम पुत्र हबताराम
आधार कार्ड	विरधाराम पुत्र हबताराम
परिवार राशन कार्ड	विरधाराम पुत्र हबताराम
बैंक डायरी	विरधाराम पुत्र हबताराम
भामाशाह कार्ड	विरधाराम पुत्र हबताराम
जन आधार कार्ड	विरधाराम पुत्र हबताराम
चिरंजीवी कार्ड	विरधाराम

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:–

   1. *प्रार्थी विरधाराम पुत्र हबताराम एवं उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अशुद्ध नाम वरदा, वरधा पुत्र हबता एक ही व्यक्ति के नाम हैं।*
   2. *हां प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मुताबिक वर्तमान दस्तावेज आधार, फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जॉब कार्ड के मुताबिक वर्तमान दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज वरदा, वरधा पुत्र हबता के स्थान पर विरधाराम पुत्र हबताराम नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट विरधाराम पुत्र हबताराम एवं वरदा/वरधा पुत्र हबता दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम विरधाराम पुत्र हबताराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यतित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:47:17 IST
Reason: SelfAttested

ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **वरदा/वरधा पुत्र हबता** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **विरधाराम पुत्र हबताराम** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

सत्यमेव जयते
गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.07 20:47:17 IST
Reason: SelfAttested